तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश सिंह बनाम लोक सूचना अधि0 एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 07/2024) (जीसीएमएस न0 2024/21)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.06.2024	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील/आर टी आई /2024/114 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.02.2024 को आवेदन भिजवाया गया जो उनके कार्या0में आवक शाखा के कमांक 2175 दिनांक 21.02.2024 से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सू.अ./2024/31 दिनांक 26.02.24 एवं 72 दिनांक 26.04.2024 से प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को भिजवाया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा पत्रांक न्याय/आरटीआई/2024/2176 दिनांक 13.06.2024 से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करादी गई है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के पत्र कमांक न्याय/आरटीआई/2024/2176 दिनांक 13.06.2024 से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (श्रीनिधि बी टी) जिला कलक्टर	